भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 1572

(सोमवार, 9 फरवरी, 2026/20 माघ, 1947 (शक) को उत्तर के लिए)

राजस्थान में सामाजिक विकास के लिए सीएसआर निधि का उपयोग

1572. श्री बृजेन्द्र सिंह ओलाः
श्री हरीश चंद्र मीनाः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधि का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में किया जा रहा है और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निगरानी तंत्र स्थापित किया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान राजस्थान राज्य में जिला-वार विशेषकर झुंझुनू लोक सभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, खेल, जल संरक्षण और ग्रामीण विकास क्षेत्रों के लिए विभिन्न कंपनियों/औद्योगिक इकाइयों द्वारा कितनी सीएसआर निधि आवंटित की गई और वास्तव में कितनी राशि खर्च की गई;
(ग) क्या उक्त निर्वाचन क्षेत्र को आवंटित सीएसआर निधि का पूर्ण उपयोग कर लिया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(घ) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए भी कोई तंत्र मौजूद है कि स्थानीय औद्योगिक इकाइयों द्वारा सृजित कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधि को उसी राज्य में सामाजिक विकास पर खर्च किया जाए, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के तहत, सीएसआर एक बोर्ड संचालित प्रक्रिया है और कंपनी का बोर्ड अपनी सीएसआर समिति की सिफारिशों के आधार पर कंपनी की सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाने, उन पर निर्णय लेने, उनका निष्पादन करने और उन पर निगरानी करने के लिए अधिकृत है। यह समिति सीएसआर नीति तैयार करने तथा उनकी सिफारिश करने का कार्य करती है, जिसमें अनुसूची VII में निर्दिष्ट क्षेत्रों या विषयों के अनुरूप कंपनी द्वारा किए जाने वाले कार्यकलापों की रूपरेखा दी गई है।

सीएसआर समिति के गठन, सीएसआर नीति के निर्माण, सीएसआर पर वार्षिक कार्य योजना, मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) द्वारा सीएसआर व्यय के प्रमाणीकरण और सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा सीएसआर व्यय के लेखापरीक्षा आदि से संबंधित मौजूदा कानूनी प्रावधान निगरानी, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के तंत्र हैं।

(ख) और (ग): मंत्रालय संसदीय निर्वाचन क्षेत्रवार सीएसआर डाटा केंद्रीय रूप से नहीं रखता है। सीएसआर डाटा जिलावार रखा जाता है। वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान राजस्थान में विकास क्षेत्रवार और जिलावार सीएसआर व्यय क्रमशः अनुलग्नक-I और II में संलग्न है।

(घ): अधिनियम की धारा 135(5) के प्रथम उपबंध में यह प्रावधान है कि कंपनी उस स्थानीय क्षेत्र तथा उसके आसपास के क्षेत्रों को प्राथमिकता देगी जहाँ वह अपने कार्यकलाप संचालित करती है। तथापि, स्थानीय क्षेत्र पर दिया गया यह बल केवल निर्देशात्मक है, न कि अनिवार्य प्रकृति का है, और कंपनियों को स्थानीय क्षेत्र की प्राथमिकता को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ संतुलित करना आवश्यक है।

******

अनुलग्नक- I

दिनांक 09.02.2026 के लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1572 के भाग (ख) में संदर्भित
वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2023-24 तक राजस्थान में विकास क्षेत्रवार सीएसआर व्यय

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	विकास क्षेत्र	वित्त वर्ष 2019-20	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24
1	कृषि वानिकी	0.39	1.04	2.69	2.81	2.21
2	पशु कल्याण	8.23	14.91	12.25	35.54	38.00
3	सशस्त्र बल, पूर्व सैनिक, युद्ध विधवाएँ/ आश्रित	0.81	1.92	0.50	0.48	0.83
4	कला और संस्कृति	37.87	9.97	11.31	41.82	23.48
5	प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	2.28	16.30	30.79	29.79	36.71
6	शिक्षा	306.74	221.46	199.46	349.34	433.40
7	पर्यावरणीय स्थिरता	26.60	46.57	56.77	180.27	70.42
8	लैंगिक समानता	7.21	0.33	2.27	0.47	2.89
9	स्वास्थ्य देखभाल	128.63	181.95	176.58	162.35	145.93
10	आजीविका संवर्धन परियोजनाएँ	47.22	18.36	18.30	36.37	85.53
11	गरीबी, भूख मिटाना, कुपोषण	19.75	42.92	26.63	33.99	43.36
12	ग्रामीण विकास परियोजनाएँ	45.98	43.39	66.34	126.45	150.15
13	सुरक्षित पेयजल	10.09	11.91	40.28	23.87	8.92
14	स्वच्छता	26.57	12.25	13.16	14.56	15.24
15	वरिष्ठ नागरिक कल्याण	0.39	0.56	2.76	13.17	14.83
16	महिलाओं के लिए घर और हॉस्टल बनाना	2.18	0.61	1.34	0.32	0.69
17	अनाथालय की स्थापना	1.25	0.96	0.32	1.87	0.71
18	झुग्गी क्षेत्र विकास	0.52	3.45	-	0.16	0.24
19	सामाजिक-आर्थिक समानताएँ	8.20	1.90	3.57	5.46	7.94
20	विशेष शिक्षा	0.53	0.60	3.81	8.06	7.52
21	प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर	0.20	2.95	0.01	-	-
22	खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण	24.44	8.76	15.53	21.99	25.31
23	व्यावसायिक कौशल	16.09	8.57	14.56	20.29	19.98
24	महिला सशक्तिकरण	11.95	17.42	14.61	13.08	9.48
25	एनईसी/उल्लेख नहीं किया गया*	-	0.94	-	0.13	1.87
	कुल	734.12	670.00	713.85	1,122.65	1,145.67

(दिनांक 31.03.2025 तक का डाटा **) (स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)**

* कंपनियों ने या तो क्षेत्र के नाम नहीं बताए या एक से ज़्यादा क्षेत्र बताए जहां परियोजना लागू की गई थी।

*****

अनुलग्नक- II

दिनांक 09.02.2026 के लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1572 भाग (ख) में संदर्भित
वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2023-24 तक राजस्थान में विकास क्षेत्रवार सीएसआर व्यय

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	जिलों	वित्त वर्ष 2019-20	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24
1	अजमेर	14.36	4.45	9.35	11.03	87.26
2	अलवर	25.58	35.88	51.18	59.16	68.54
3	बालोतरा	-	-	-	-	-
4	बांसवाड़ा	2.82	2.40	1.49	5.51	7.46
5	बारां	5.68	6.25	6.81	11.95	16.01
6	बाड़मेर	17.55	24.55	15.74	18.56	18.43
7	ब्यावर	-	-	-	-	-
8	भरतपुर	3.03	17.17	5.06	17.91	16.34
9	भीलवाड़ा	16.68	7.30	41.64	107.90	49.71
10	बीकानेर	4.15	4.89	16.22	22.36	19.31
11	बूंदी	0.09	0.06	0.42	2.51	3.96
12	चित्तौड़गढ़	3.04	4.97	23.31	8.38	14.63
13	चुरू	9.38	2.82	5.58	16.88	39.17
14	दौसा	2.28	3.60	4.50	3.00	2.12
15	डीग	-	-	-	-	-
16	धौलपुर	0.52	2.85	3.37	1.72	4.39
17	डीडवाना-कुचामन	-	-	-	0.29	0.05
18	डूंगरपुर	2.53	2.52	4.04	11.17	14.57
19	गंगानगर	0.94	2.18	0.84	1.75	2.35
20	हनुमानगढ़	-	0.06	0.31	0.49	1.67
21	जयपुर	88.15	59.13	110.12	184.37	248.24
22	जैसलमेर	3.55	4.28	5.44	12.24	27.95
23	जालौर	2.90	6.29	7.31	47.85	12.83
24	झालावाड़	1.06	2.39	3.27	2.63	3.88
25	झुंझुनू	3.96	5.52	7.73	13.65	13.82
26	जोधपुर	6.58	11.47	25.42	37.58	32.82
27	करौली	3.03	10.62	12.09	16.66	4.68
28	खैरथल-तिजारा	-	-	-	-	0.24
29	कोटा	13.82	7.90	11.05	12.19	22.97
30	कोटपुतली-बहरोड़	-	-	-	-	0.06
31	नागौर	2.60	8.01	5.82	7.87	13.09
32	पाली	5.19	10.53	16.92	21.35	33.26
33	फलौदी	-	-	-	-	-
34	प्रतापगढ़	0.59	0.18	0.06	-	-
35	राजसमंद	15.80	23.68	22.78	15.39	15.00
36	सलूम्बर	-	-	-	-	-
37	सवाई माधोपुर	0.96	3.43	2.52	1.02	1.56
38	सीकर	6.63	6.95	20.87	25.63	19.58
39	सिरोही	4.70	3.12	9.65	50.97	20.67
40	टोंक	0.47	0.99	5.25	3.47	2.07
41	उदयपुर	46.24	101.53	88.03	195.92	97.57
42	जिला अन्यत्र वर्गीकृत नहीं है	419.25	282.01	169.67	173.29	209.39
	कुल	**734.12**	**670.00**	**713.85**	**1,122.65**	**1,145.67**

(दिनांक 31.03.2025 तक का डाटा) **(**स्रोत**:** कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ**)**

*****